FORM NO. III

APP-A
crim-I

फर्द अहकाम

(नियम-26)

112 मु.नं० 25/9 2019

अज अदालत ...... सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा ...... नियम 2019/00306

लक्ष्मण

किस्म मुकदमा ...... 88, 89 आर.टी.ए. ...... बनाम ईश्वरराम उर्फ ईश्वरलाल

नं. 112 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.9.19	वादी / वादीगण की ओर से यह वाद पत्र वकील श्री अचलाराम चौधरी ने अन्तर्गत धारा 88, 89 RTA का पेश किया। जिस पत्र कार्यालय रिपोर्ट प्राप्त की कार्यालय रिपोर्ट का अवलोकन किया वाद पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादी को वाद पत्र के सम्मन मय वाद पत्र की प्रति के जारी हो पत्रावली वास्ते तामिल / जवाबदावा दिनांक 25.9.19 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा	
25.9.19	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी को जारी सम्मन बाद तामील प्राप्त। SDO साब अन्य कार्य में व्यस्त हैं पत्रावली वास्ते 26.9.19 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा	प्रतिवादी श्री पक्ष्म(?)
26.9.19 लक्ष्मण मलाराम Identified मीरादेवी	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित, प्रतिवादीगण की ओर से वकील श्री नेमाराम माछिया ने वकालतनामा मय इकबाली जवाब प्रतिवादीगण की ओर से पेश किया। जो शामिल मिसल रहे। पक्षकारान वादीगण व प्रतिवादीगण ने आपसी राजीनामा पेश कर कथन किया कि वादीगण के हकपूर्वाधिकारी तोगाराम व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 आपस में सगे भाई रहे हैं बाद शुदा भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की कृषि भूमि रही है उक्त भूमि में तहरीर से प्रतिवादीगण का नाम दर्ज हो गया वास्तव में वादीगण का भी नाम दर्ज होना चाहिये। राजीनामा स्वीकार किया जाकर कृषि भूमि खसरा नं. 952 रकबा 26 बीघा मौजा बालोतरा पटवार हल्का बालोतरा प्रथम की जमाबंदी खतौनी में प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 के नाम जो 5/6 हिस्सा दर्ज है उसमें से 1/6 हिस्से का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे, 5/6 हिस्से में से वादी का 1/6 हिस्सा सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा	ईश्वरराम / ईश्वरलाल किशनाराम रेखा वादीगण के Identified

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

तारीख हुक्म	
	शेष बचे हिस्से बाद देने के पश्चात् में सभी प्रतिवादी नं. 1 ता 5 का समान हिस्सा कायम रखा जावेगा।

राजीनामा की इबारत को पक्षकारान को पढ़कर समझाई जाकर बाद पहचान तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया।

राजीनामा की सहमति में श्रीमती मीरादेवी, सुन्दरदेवी पुत्रियाँ तोगाराम ने अपने शपथ पत्र पेश किये जो शामिल मिसल रहे।

चूँकि पक्षकारान के मध्य लोकअदालत की भावना से राजीनामा हुआ है, पक्षकारान भी खुशहालराम के राजीनामा होना जाहिर किया है। प्रतिवादीगण को उनके नाम दर्ज भूमि में वादीगण का नाम दर्ज किया जाता है तो उन्हें एतराज नहीं होना जाहिर करते हुये स्वखाते, भवाल, राजीनामा पेश किया है।

हमने पत्रावली, पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात, राजीनामा की इबारत का अवलोकन व अध्ययन किया बाद गौर वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार कर कृषि भूमि खसरा नं. 952 रकबा 26 बीघा मौजा बालोतरा प्रथम की वर्तमान खतौनी में प्रतिवादी नं. 1 ता 5 के नाम से जो 5/6 हिस्सा दर्ज है में वादीगण को 1/6 हिस्से का खातादार घोषित किया जाता है। शेष हिस्सा प्रतिवादी नं. 1 ता 5 का समान रूप से यथावत् रहेगा। इसी अनुसार डिग्री जारी हो।

प्रतिवादी नं. 6 भागचंद का वर्तमान खतौनी में जो 1/6 हिस्सा है वो हिस्सा यथावत् रहेगा।

पत्रावली फैसल शुमार हो दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :– रोहित कुमार आर.ए.एस

वादीगण 1. लक्षमण 2. मलाराम 3. नारायणराम पुत्रान तोगाराम जातियान माली सभी निवासियान बालोतरा तहसील पचपदरा

ब ना म

प्रतिवादीगण

1. ईश्वरराम उर्फ ईश्वरलाल, 2. किशनलाल, 3. हड़मानराम 4. गोविन्दराम 5. रूपाराम पुत्रान खुशालाराम जातियान माली सभी निवासियान बालोतरा तह. पचपदरा 6. माणकचन्द पुत्र पुखराज जाति ओसवाल निवासी बालोतरा 7. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

वाद हेतु घोषणा अर्न्तगत धारा 88, 89, रा. का. अ.।

मुकदमा नम्बर – 112/2019

निर्णय दिनांक – 26.09.2019

वादीगण की ओर से अधिवक्ता विक्रम आशिया व प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता अचलाराम थोरी की उपस्थिति में इस वाद में आदेश दिया जाता है, और डिक्री दी जाती है, कि– माफिक राजीनामा तस्दीक कर कृषि भूमि खसरा सं. 952 रकबा 26 बीघा सरहद मौजा बालोतरा पटवार क्षेत्र बालोतरा प्रथम की खतौनी में वर्तमान खतौनी में प्रतिवादी सं. 01 ता 05 के नाम जो 5/6 हिस्सा हैं, उसमें से 1/6 हिस्से का खातेदार वादीगण को घोषित किया जाता है तथा 5/6 हिस्से में से वादीगण का 1/6 हिस्सा बाद देने के उपरान्त शेष बचे हिस्से का प्रत्येक प्रतिवादीगण 01 ता 05 के खाते में समान रूप से हिस्से का खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाता है, इसी अनुसार रेकर्ड में अमलदरामद हो। प्रतिवादी सं. 6 का वर्तमान खतौनी अनुसार 1/6 हिस्सा यथावत रहेगा, खर्चा अपना–अपना वहन करें।

यह आज तारीख 26.09.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर डिक्री जारी की गई है।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(रोहित कुमार आर.ए.एस)

सहायक कलेक्टर बालोतरा

Scanned by CamScanner